भारत सरकार **लोक सभा**

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं. 1835**

<u>दिनांक 3 जुलाई, 2019 को उत्तर दिये जाने के लिए</u>

शीतागार और भांडागार अवसंरचना सुविधाएं

1835. डॉ॰ भारती प्रवीण पवारः
क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार उत्तर महाराष्ट्र में शीतागार और भांडागार अवसंरचना सुविधाओं को सुदृढ करने की योजना बना रही है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) इस प्रयोजनार्थ स्वीकृत की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री
(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग) जी हां, सरकार की उत्तर महाराष्ट्र सहित देश में शीतागार और भांडागार अवसंरचना सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए अनेक योजनाएं हैं।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के घटकों में से एक के रूप में एकीकृत कोल्ड चैन और मूल्यवर्धन अवसरंचना स्कीम लागू कर रही है जिसका उद्देश्य बागवानी और गैर बागवानी उत्पादों के फसल कटाई के पश्चात हानियों को रोकना और कृषकों को उनके उत्पाद के लिए लाभकारी कीमत प्रदान कराना है । इस स्कीम के अंतर्गत, महाराष्ट्र के लिए 67 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिनमें से 33 परियोजनाओं को पूरा कर लिया गया है तथा 34 परियोजनानाएं क्रियान्वयनाधीन हैं । इन परियोजनाओं के लिए 481.64 करोड़ रुपये की कुल राशि की मंजूरी दी गई है जिसमें में 277.11 करोड़ रुपये जारी कर दिये गये है।

कृषि, सहकारिता एवं कृषक कल्याण विभाग, महाराष्ट्र सहित देश में बागवानी के विकास के लिए एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) लागू कर रहा है जिसमें अन्य बातों के साथ - साथ, शीतागार सहित फसल - पश्चात प्रबंधन (पीएचएम) की स्थापना करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध है । एमआईडीएच के आरंभ (2014 -15) से महाराष्ट्र में 21 शीतागारों के लिए 2123.50 लाख रूपए की राशि को अनुमोदित किया गया है ।

भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) (एफसीआई) के पास (दिनांक 28.06.2019 की स्थिति के अनुसार) उत्तर महाराष्ट्र में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरण हेतु खाद्यान्नों के केंद्रीय पूल स्टॉक में कुल 4,51,703 एमटी की भण्डारण क्षमता है ।

****